



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग,  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

अधिसूचना संख्या - न0नि0 50-01/2024 - 618

पटना, दिनांक - 04.03.2025

अधिसूचना

बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली, 2007 के नियम 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार एतद् द्वारा नगरपालिकाओं के आसन्न आम/उप निर्वाचन हेतु संबंधित अनुमंडल दंडाधिकारी को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली सभी नगरपालिकाओं या उसके भाग के लिए वार्ड-वार मतदाता सूची तैयार करने के लिए निबंधन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त करता है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,  
सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक - न0नि0 50-01/2024 - 618

पटना, दिनांक - 04.03.2025

प्रतिलिपि, आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाइट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-01/2024 - 618

पटना, दिनांक - 04.03.2025

प्रतिलिपि, सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)/सभी अनुमंडल दंडाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से अनुरोध है कि आपके क्षेत्राधीन किसी नगरपालिका में प्रशासक के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी अधिसूचित किये गये हों तो उन्हें प्रशासक पद से मुक्त कर किन्हीं अन्य पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाय तथा अधिसूचना की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर से तैयार कर अपने क्षेत्राधीन अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध करा देने की कृपा की जाए।

सचिव।

ज्ञापांक - न0नि0 50-01/2024 - 618

पटना, दिनांक - 04.03.2025

प्रतिलिपि, सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

